

सड़क सुरक्षा की वैश्विक स्थितिरिपोर्ट 2023: WHO

प्रलिस के लयि:

सड़क सुरक्षा की वैश्विक स्थितिरिपोर्ट 2023, [वशिव सवासथय संगठन](#), सड़क हादसों में होने वाली मौतें और सुरक्षा, [सतत वकिस लकष्य 3.6](#) ।

मेन्स के लयि:

सड़क सुरक्षा की वैश्विक स्थितिरिपोर्ट 2023: WHO, वभिन्न कषेत्रों में वकिस के लयि सरकारी नीतयिाँ और हस्तकषेप तथा उनके डज़ाइन एवं कार्यानवयन से संबंघति मुददे ।

[स्रोत: द हद्वि](#)

चरचा में क्योँ?

हाल ही में [वशिव सवासथय संगठन](#) ने [सड़क सुरक्षा की वैश्विक स्थिति 2023](#) शीरषक से एक रिपोर्ट जारी की है । इस रिपोर्ट में वशिव भर में सड़क हादसों में होने वाली मौतों और सुरक्षा उपायों को लेकर महत्त्वपूर्ण नषिकरष एवं अंतरदृष्टिपरस्तुत की गई है ।

रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं?

- **सड़क हादसों में होने वाली मौतें:**
 - वर्ष 2010 और 2021 के बीच वशिव भर में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 5% की कमी आई है अरथात इस एक वर्ष के दौरान होने वाली मौतों की कुल संख्या 1.19 मलियन है ।
 - संयुक्त राषट्र के 108 सदस्य देशों ने इस अवघके दौरान सड़क हादसों में होने वाली मौतों में गरिावट दर्ज की है ।
 - जबकि भारत में इसकी मृत्यु दर में 15% की वृद्धि देखी गई, जो वर्ष 2010 के 1.34 लाख से बढ़कर वर्ष 2021 में 1.54 लाख हो गई है ।
- **वे देश जहाँ सड़क हादसों में होने वाली मौतों में काफी कमी आई है:**
 - 10 देशों में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में काफी कमी दर्ज की गई है । 50% से अधिक कमी लाने में सफल देश इस प्रकार हैं: बेलारूस, बरुनेई दारुससलाम, डेनमारक, जापान, लथुआनयिा, नॉरवे, रूसी संघ, त्रनिदिाद और टोबैगो, संयुक्त अरब अमीरात तथा वेनेजुएला ।
 - पैतीस अन्य देशों ने इस दशिा में उल्लेखनीय प्रगति की है, जसिसे सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 30% से 50% की कमी दर्ज की गई है ।
- **दुरघटनाओं का कषेत्रीय वतिरण:**
 - वैश्विक सड़क यातायात में होने वाली मौतों में से 28% WHO दकषणि-पूर्व एशयिा कषेत्र में, 25% पश्चिमी प्रशांत कषेत्र में, 19% अफरीकी कषेत्र में, 12% अमेरिका कषेत्र में, 11% पूर्वी भूमध्य कषेत्र में तथा 5% यूरोपीय कषेत्र में हुई ।
 - वशिव के केवल 1% मोटर वाहन होने के बावजूद सड़क हादसों से होने वाली 90% मौतें नमिन तथा मध्यम आय वाले देशों में होती हैं ।
- **कमज़ोर सड़क चालक:**
 - सभी सड़क हादसों से होने वाली मौतों में से 53% कमज़ोर सड़क चालक हैं, जनिमें पैदल यात्री (23%), संचालति दोपहयिा तथा तपिहयिा वाहनों के चालक (21%), साइकलि चालक (6%) एवं सूकषम-गतशीलता उपकरणों के चालक (3%) शामिल हैं ।
 - वर्ष 2010 और वर्ष 2021 के बीच पैदल यात्रयिों की मृत्यु 3% बढ़कर 2,74,000 हो गई, जबकि साइकलि चालकों की मृत्यु लगभग 20% बढ़कर 71,000 हो गई ।
 - हालाँकि कार एवं अन्य चौपहयिा हलके वाहन में सवार लोगों की मृत्यु में थोड़ी कमी आई, जो होने वाली वैश्विक मौतों का 30% है ।
- **सुरक्षा मानकों व नीतयिों पर प्रगति:**
 - केवल छह देशों में ऐसे कानून हैं जो सभी जोखमि कारकों (तीव्र गति, शराब का सेवन कर वाहन चलाना एवं मोटरसाइकलि हेलमेट, सीटबेल्ट व बच्चों के संयम का उपयोग) के लयि WHO के सर्वोत्तम अभय्यास को पूरा करते हैं, जबकि 140 देशों (संयुक्त राषट्र के दो-तहिाई सदस्य देशों) में केवल इन जोखमि कारकों में से कसिी एक से संबंघति कानून हैं ।
 - सीमति संरख्या में देशों में प्रमुख वाहन सुरक्षा सुवधिाओं को शामिल करने वाले कानून हैं और सड़क उपयोगकर्त्ताओं के लयि सुरक्षा नरीकषण की आवश्यकता होती है ।

■ कार्रवाई के लिये आह्वान:

- वैश्विक मोटर-वाहन बेड़े (Fleet) की वृद्धिविष 2030 तक दोगुनी होने की उम्मीद है, जिससे सुदृढ़ सुरक्षा नयिमों और बुनयादी ढाँचे में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है।
- यह रिपोर्ट वर्ष 2030 तक सड़क यातायात से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने के संयुक्त राष्ट्र कार्रवाई दशक 2021-2030 के लक्ष्य को पूरा करने के प्रयासों के लिये आधार रेखा तय करती है।

सड़क सुरक्षा से संबंधित पहल क्या हैं?

■ वैश्विक:

○ सड़क सुरक्षा पर ब्रासीलिया घोषणा (2015):

- इस घोषणा पर ब्राज़ील में आयोजित सड़क सुरक्षा पर दूसरे वैश्विक उच्च-स्तरीय सम्मेलन में हस्ताक्षर किये गए। भारत इस घोषणापत्र का एक हस्ताक्षरकर्ता है।
- देशों की योजना **सतत विकास लक्ष्य 3.6** हासिल करने अर्थात वर्ष 2030 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मौतों और आघात की संख्या को आधा करने की है।

○ सड़क सुरक्षा के लिये कार्रवाई का दशक 2021-2030:

- **संयुक्त राष्ट्र महासभा** ने वर्ष 2030 तक कम-से-कम 50% सड़क यातायात मौतों और आघातों को रोकने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ "वैश्विक सड़क सुरक्षा में सुधार" संकल्प अपनाया।
- वैश्विक योजना सड़क सुरक्षा के लिये समग्र दृष्टिकोण के महत्त्व पर बल देकर **सटॉकहोम घोषणा** के अनुरूप है।

○ अंतर्राष्ट्रीय सड़क मूल्यांकन कार्यक्रम (iRAP) :

- यह एक पंजीकृत चैरिटी है जो सुरक्षित सड़कों के माध्यम से जीवन बचाने के लिये समर्पित है।

■ भारत :

○ मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019:

- अधिनियम यातायात उल्लंघन, दोषपूर्ण वाहन, कशोर ड्राइवगि आदि के लिये दंड बढ़ाता है।
- यह एक मोटर वाहन दुर्घटना नर्धि का प्रावधान करता है, जो भारत में सभी सड़क उपयोगकर्ताओं को कुछ प्रकार की दुर्घटनाओं के लिये अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा।
- यह केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का भी प्रावधान करता है।

○ सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम, 2007

- यह अधिनियम आम वाहकों को वनियमिति करता है, उनकी देनदारियों को सीमिति करता है और उन्हें उनके कर्मचारियों या एजेंटों या अन्य की लापरवाही के कारण उन वस्तुओं की हानि के लिये उनकी देयता का आकलन करने के लिये उनके द्वारा वतितरति किये गए वस्तुओं के मूल्य की घोषणा अनिवार्य बनाता है।

○ राष्ट्रीय राजमार्ग नयित्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2000:

- यह अधिनियम राष्ट्रीय राजमार्गों के भीतर भूमि के नयित्रण, राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले रास्ते और यातायात का अधिकार तथा उस पर अनधिकृत कब्जे को हटाने का भी प्रावधान करता है।

○ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1998:

- यह अधिनियम राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास, रखरखाव और प्रबंधन तथा उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिये एक प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करता है।